Your Roll No.

LL.B. / I Term

G

Paper LB-102: PRINCIPLES OF CONTRACT

Time: 3 hours

Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note:— Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी:— इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any five questions
All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. M/s Pharma and Cosmetics Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as Company) advertised in several newspapers that their mosquito repellant cream, viz., MAXREPELLER is a good mosquito repellant thereby making it an effective preventive against Dengue, Chikungunya or any other disease spread through mosquito bite. The company promised to pay Rs. 5000/- to any person who buys the cream, applies it

thrice a day as per printed directions, and still suffers from any of such diseases. Ms. Neha purchased the cream, applied it as per the printed directions but still suffered from Dengue, while the cream was in use. She has come to you to seek your legal opinion as to whether she can claim the promised reward or not.

Support your opinion with relevant case laws.

M. कार्मा एण्ड कास्मेटिक्स प्रा० लि० (कम्पनी के तौर पर उल्लेखित) ने सार्वजिनिक समाचार-पत्र में मच्छरों से सुरक्षा करने वार्ली होम का विज्ञापन छपवाया, जिसमें कहा गया—MAXREPELLER क्रीम डेंगू, चिकनगुनिया के मच्छरों से असरदार सुरक्षा करती है और अन्य प्रकार के मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से बचाती है। कम्पनी यह वादा भी करती है कि यदि कोई व्यक्ति क्रीम खरीदता है और दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रीम को दिन में तीन बार उपयोग करता है और उसे कोई लाभ नहीं होता तो कम्पनी उसे 5000/- रु० नकद देगी। मिस नेहा क्रीम खरीदती है। वह इस क्रीम का प्रयोग दिये गये निर्देशों के अनुसार करती है लेकिन वह डेंगू से पीड़ित हो जाती है। वह आपसे कानूनी सलाह चाहती है कि क्या वह उपरोक्त वायदा की गई राशि के लिये दावा कर सकती/ है अथवा नहीं।

अपने उत्तर की पृष्टि संबंधित कानूनी दावों (मुकद्दमों) को ध्यान में रखकर कीजिए।

2. Discuss the legal issues involved in Bhagwandas Govardhan Kedia vs M/s Girdharilal Parshottamdas &

Co. (AIR 1966 SC 543), bringing out clearly the difference of opinion between the majority and minority judges. Also state which view you support and why.

भगवानदास गोवर्धन केडिया बनाम M/s गिरधारीलाल पुरुषोत्तमदास एण्ड क० (AIR 1966 SC 543), में सिन्निहित काूननी विवादपद का विवेचन कीजिए। इस मुद्दे पर बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक न्यायाधीशों में मत की भिन्नता समभाइए। यह भी बताइए कि आप किसको समर्थन देते हैं और क्यों। 20

3. (a) Explain the Indian and English Law's position with regard to privity of consideration.

क्षतिपूर्ति के सहज्ञान से संबंधित भारतीय और ब्रिटिश विधि की स्थिति की व्याख्या कीजिए। 20

(b) Discuss the exceptions to the rule that "agreement without consideration is void".

'बिना क्षतिपूर्ति के समभौता अवैध है' नियम के अपवादों की विवेचना कीजिए। 20

- 4. Mr. Raju, a 17 year old boy and his three younger siblings have been orphaned. He, being eldest in the family, entered into the following agreements:
 - (a) Oral agreement with Mr. Tarun for supply of groceries for the family.
 - (b) Agreement with M/s Happy Holiday Pvt. Ltd. for funding his travel expenses for a trip to Greece.

(c) Mortgage agreement between him and Mr. Pradeep for a loan of Rs. 10 lakhs, the mortgaged property being a farmhouse that belongs to the family.

Examine the validity of these agreements and the extent of liability of Mr. Raju in each of these agreements. Cite relevant cases.

एक 17 वर्षीय लड़का राजू और उसके तीन छोटे भाई-बहन अनाथ हो गये हैं। परिवार में सबसे बड़ा होने के नाते वह निम्न समभौते करता है:—

- (a) मि॰ तरुण से किराना के सामान की आपूर्ति के लिए मौखिक समभौता।
- (b) M/s हेप्पी होलीडे प्रा० लि० से अपने ग्रीस के दौरे के खर्च के लिये फण्डिंग हेतु समभौता।
- (c) मि॰ प्रदीप और उसमें 10 लाख रुपये के लोन के लिये परिवार के फार्महाऊस को गिरवी रखकर एक गिरवी समभौता।
 - इन समभौतों की वैधता का तथा प्रत्येक समभौते में राजू के दायित्व की मात्रा का परीक्षण कीजिए।
- (a) Explain the three stages for consideration of a case of undue influence which were expounded in Raghunath Prasad vs Sarju Prasad, AIR 1924 PC 60.

क्षतिपूर्ति की तीन अवस्थाओं की व्याख्या रघुनाथ प्रसाद बनाम सरजू प्रसाद, AIR 1924 PC 60 में अनुचित प्रभाव की व्याख्या के तीन चरणों को समभाइए।

(b) Mr. Sunil's teenage son met with a serious accident, two days after the demonetization of Rs. 500 and Rs. 1000 notes. He took his son to a private hospital. The doctors advised an urgent surgery of his son. Mr. Sunil had cash in hand consisting of the demonetized notes, but the hospital refused to accept the same. He went to Mr. Naresh, a moneylender to exchange the notes. However, Mr. Naresh insisted that he would accept the demonetized notes only if Mr. Sunil was ready to exchange it for half of its value, i.e., Mr. Sunil would get Rs. 250 and Rs. 500 in exchange of the old Rs. 500 and Rs. 1000 notes respectively. Mr. Sunil did not have any option but to agree to the terms of Mr. Naresh because of the circumstances he was in. He exchanged Rs. 10 lakh (demonetized notes) and got half its value i.e., Rs. 5 lakh and used it for the treatment of his son. Mr. Sunil feels that his consent to the transaction was caused by undue influence and wants Mr. Naresh to give him Rs. 5 lakh more.

Advise him.

500 रु॰ तथा 1000 रु॰ के नोटों के विमुद्रीकरण के दो दिन बाद मि॰ सुनील के पुत्र की गम्भीर दुर्घटना हो जाती है। वह अपने पुत्र को एक निजी अस्पताल में ले जाता P. T. O.

है। डॉक्टर उसे तुरन्त सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। मि० सुनील के पास रोकड़ (केश) के रूप में पुराने नोट हैं, लेकिन अस्पताल पुराने नोट लेने से इन्कार कर देता है। वह मि० नरेश, जो एक साहूकार है, से रुपये बदली कराना चाहता है। वह मि० सुनील का धन बदलने के लिये तैयार हो जाता है बशतें कि पुराने 1000 के बदले में नये 500 रु० तथा 500 के बदले में 250 रु० ही चुकायेगा। मि० सुनील के पास इस समय अन्य कोई विकल्प नहीं है। वह 10 लाख के मूल्य के पुराने नोटों के बदले केवल 5 लाख मूल्य के नये नोट ले लेता है, और अपने पुत्र का उपचार कराना प्रारम्भ कर देता है। मि० सुनील को यह लग रहा है कि उसका इस सौदे के लिये तैयार हो जाना अनुचित प्रभाव का प्रयोग है। वह यह चाहता है कि मि० नरेश उसे 5 लाख रुपये और दे दे।

उसे सलाह दीजिए।

6. The supervening impossibility of performance envisaged in Section 56 of the Indian Contract Act 1872 is not only literal impossibility but also includes those caused by impracticality and futility of performance from the point of the object and purpose which the parties had in view, at the time of entering into the contract.

Elucidate the above statement with the help of decided cases.

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के सैक्शन 56 में परिकल्पित प्रदर्शन की आकस्मिक असम्भाव्यता न सिर्फ एक शाब्दिक असम्भाव्यता है बल्कि उसमें अनुबंध करते समय पक्षों द्वारा सोचे गये प्रयोजन व उद्देश्य के विचार से प्रदर्शन की निरर्थकता तथा अव्यावहारिकता भी शामिल है।

उपरोक्त कथन की निर्णीत मुकद्दमों के आधार पर विवेचना कीजिए।

7. Discuss the rules laid down in the Hadley V. Baxendale (1843-60) All. ER Rep. 460. Examine whether the rule so laid down in the above mentioned case finds a place in the Indian Contract Act, 1872.

हेडले बनाम बैक्सन्डेल (1843-60) All. ER Rep. 460 में योजित नियमों की विवेचना कीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या इन नियमों को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में स्थान मिल पाया है।

8. Write short notes on any two:

- (a) Standing offer
- (b) Void agreement, Void contract and Voidable contract
- (c) Obligation of person who enjoyed benefit of nongratuitous act.

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए:

(a) यथावत् प्रस्ताव

- (b) वैध समभौता, वैध अनुबंध और वैधनीय अनुबंध
- (c) गैर-अहेतुक कार्य के लाभ लेने वाले व्यक्ति के कर्तव्य।